

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्र,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,  
खाद्य एवं रसद विभाग,  
30प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक,  
भारतीय खाद्य निगम,  
टी0सी0/3बी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ।
3. निदेशक,  
मण्डी परिषद,  
30प्र0, लखनऊ।
4. आयुक्त,  
गोरखपुर मण्डल।
5. जिलाधिकारी,  
गोरखपुर/देवरिया/कुशीनगर/महराजगंज।
6. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,  
गोरखपुर सम्भाग,  
उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक,  
30प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम  
लि0, लखनऊ।
8. अधिशासी निदेशक,  
30प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,  
जवाहर भवन, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक,  
30प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,  
32, स्टेशन रोड, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक,  
30प्र0 को-ऑपरेटिव यूनियन लि0,  
(पी0सी0यू0) लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक,  
यू0पी0 स्टेट एगो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन  
लि0, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
12. निबन्धक,  
सहकारी समितियाँ, 30प्र0।
13. शाखा प्रबन्धक,  
भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ  
मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0), बी0-4, एच0  
रोड, महानगर, लखनऊ।
14. शाखा प्रबन्धक,  
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ  
मर्यादित (नैफेड) अलीगंज, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

**विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत नोडल अधिकारियों की तैनाती।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-10/2017/1349/29-4-2017-5(34)/07, दिनांक 22 नवम्बर, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 22 नवम्बर, 2017 द्वारा श्री अजय चौहान, प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, 30प्र0 को गोरखपुर सम्भाग विशेषकर महाराजगंज एवं गोरखपुर जनपद का नोडल अधिकारी नामित किया गया था।

3- सम्यक् विचारोपरान्त श्री अजय चौहान, प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, 30प्र0 के स्थान पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक/अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, पी0सी0एफ0 को गोरखपुर सम्भाग विशेषकर महाराजगंज एवं गोरखपुर जनपद का नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

4- उपर्युक्त नामित नोडल अधिकारी को चेक लिस्ट संलग्न कर प्रेषित करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि धान क्रय केन्द्रों, भण्डारण डिपो, क्रय एजेन्सियों के धान क्रय केन्द्रों की क्रियाशीलता एवं केन्द्रीयपूल में

सी0एम0आर0 भण्डारण की संलग्न कुल 02 चेक लिस्ट के अनुसार माह में कम से कम एक बार अपने-अपने नामित जनपदों में भ्रमण, स्थलीय पर्यवेक्षण व समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार धान की खरीद एवं भण्डारण का कार्य किया जा रहा है या नहीं। नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि किसानों का उनका उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है, उन्हें धान विक्रय करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है तथा जनपदों में डिस्ट्रेस सेल की कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त क्रय धान से निर्मित चावल का केन्द्रीयपूल में भण्डारण की भी समीक्षा की जायेगी। इस सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई या समस्या संज्ञान में लायी जाती है तो उसका उचित निराकरण सक्षम अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा। जिलाधिकारी व जनपद/मण्डल के अधिकारी भी समस्याओं के समाधान हेतु नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर सकेंगे। नामित नोडल अधिकारी जिला भ्रमण/निरीक्षण में क्रय व भण्डारण संस्थाओं के जिला व सम्भाग स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर समस्याओं का निराकरण भी करायेंगे। भ्रमण के पश्चात नोडल अधिकारी अपनी रिपोर्ट खाद्यायुक्त तथा शासन को उपलब्ध करायेंगे। नामित नोडल अधिकारी जनपद भ्रमण के समय जिलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष पर अवश्य सम्पर्क करके खरीद की स्थिति एवं समस्या से अवगत करायेंगे। इसी प्रकार मण्डल मुख्यालय के जनपद भ्रमण के समय मण्डलायुक्त से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर खरीद की स्थिति से अवगत करायेंगे।

शासन तथा खाद्यायुक्त कार्यालय से नामित जिन नोडल अधिकारियों के पास राजकीय वाहन नहीं है, उन्हें वाहन की उपलब्धता आयुक्त, खाद्य तथा रसद द्वारा की जायेगी। नामित नोडल अधिकारियों के ठहरने आदि की व्यवस्था सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार मिश्र)

अनु सचिव।

संख्या:-11/2017/1540(1)/29-4-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संबंधित नोडल अधिकारी।
- 2- संबंधित संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी (द्वारा संभागीय खाद्य नियंत्रक)।
- 3- संबंधित संभागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग (द्वारा संभागीय खाद्य नियंत्रक)।
- 4- अपर आयुक्त (विपणन), खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ।
- 5- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, 30प्र0 शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, 30प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)

अनु सचिव।

## प्रारूप-01

खरीफ विपणन वर्ष 2017-2018 में धान क्रय केन्द्रों के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट

1	क्रय केन्द्र व क्रय एजेंसी का नाम।	
2	क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम व मोबाईल नम्बर	
3	निरीक्षण की तिथि व समय व केन्द्र प्रभारी की उपस्थिति	
4	क्रय केन्द्र समय से खुला अथवा नहीं।	
5	बैनर है/नहीं। बैनर में एम0एस0पी0 एवं टोल फ्री नम्बर का प्रदर्शन है/नहीं।	
6	वर्षा से धान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में केन्द्र पर क्रेट्स/त्रिपाल है/नहीं।	
7	क्रय केन्द्र पर किसानों की सुख-सुविधा हेतु शामियाना। पानी। दरी। लोटा। बाल्टी व बैठने की व्यवस्था है/नहीं।	
8	क्रय केन्द्र पर धान की सफाई हेतु विनोईंग फैन। दो जाली का छलना। नमी मापक यंत्र एवं पावर विनोबर उपलब्ध है/नहीं एवं उनका प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।	
9	क्रय केन्द्र पर इलेक्ट्रानिक कांटा-बांट सही/सत्यापित है/नहीं।	
10	क्रय केन्द्र पर धान का मानक नमूना प्रदर्शित है/नहीं।	
11	क्रय केन्द्र पर धान खरीद हेतु पर्याप्त संख्या में बोरे उपलब्ध हैं/नहीं।	
12	धान से भरे बोरों पर निर्धारित कोड का अंकन किया गया अथवा नहीं।	
13	क्रय केन्द्र पर खरीद से संबंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध हैं/नहीं।	
14	धान की हलिंग हेतु सम्बद्ध चावल मिल का नाम अनुबन्ध व बैंक गारण्टी की स्थिति	
15	लक्ष्य के सापेक्ष धान खरीद की स्थिति।	
16	क्रय केन्द्र द्वारा किसानों को आर0टी0जी0एस0/एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है या नहीं।	
17	क्रय केन्द्र पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है/नहीं।	
18	क्रय केन्द्र द्वारा कृषकों को नियमित भुगतान किया जा रहा है/नहीं।	
19	क्रय वास्तविक किसानों से किया जा रहा है, बिचैलियों की सक्रियता तो नहीं है।	
20	कितने किसानों का धान खरीदा जा चुका है।	
21	क्रय पंजिका में कृषकों की जोतबही या खतौनी व मोबाइल नम्बर आदि अंकित किया जा रहा है या नहीं।	

22	क्रय केन्द्र पर घटतौली या कम भुगतान की शिकायत तो नहीं है/यदि घटतौली अथवा कम भुगतान की शिकायत पायी जाए तो शिकायत की जाँच कराकर शिकायत की पुष्टि होने के उपरान्त दोषी केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।	
23	ई-उपार्जन हेतु लैपटाप, आई पैड/नेट कनेक्शन की उपलब्धता व धान क्रय फीडिंग की स्थिति	
24	निरीक्षण के समय क्रय केन्द्र पर उपस्थित किसानों के नाम व उनकी शिकायत/सुझाव।	
25	भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी, एक्नालेजमेंट, बिलिंग व भुगतान की स्थिति।	
26	निरीक्षण के समय अन्य अनियमितता जो प्रकाश में आये।	

नोडल अधिकारी का  
नाम व पदनाम।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

## प्रारूप-02

## भारतीय खाद्य निगम डिपो के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट

1	भण्डारण एजेंसी व डिपो का नाम।	
2	भण्डार प्रबन्धक का नाम व मोबाइल नं०।	
3	डिपो की कुल भण्डारण क्षमता।	
4	डिपो की रिक्त क्षमता।	
5	डिपो पर गत सात दिनों में अनलोड हुई ट्रकों का औसत।	
6	निरीक्षण के समय उतार की प्रतीक्षा में डिपो पर खड़े ट्रकों की संख्या।	
7	क्रय सत्र में डिपो पर सी०एम०आर० का प्रगतिशील उतार	
8	सामान्यतः डिपो पर ट्रक को अनलोडिंग में लगने वाला समय।	
9	प्रपत्र देने हेतु सिंगल विन्डो सिस्टम का क्रियान्वयन।	
10	72 घण्टे में प्रपत्र क्रय एजेंसी को दिये जा रहे हैं अथवा नहीं।	
11	दैनिक रूप से उतारे सी०एम०आर० की सूचना क्रय एजेंसी को नियमित एस०एम०एस० के माध्यम से प्रेषित की जा रही है अथवा नहीं।	
12	डिपो पर पर्याप्त श्रमिक सी०एम०आर० उतार हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं।	
13	सी०एम०आर० उतार में कोई समस्या तो नहीं है।	
14	भा०खा०नि० के कार्यालय द्वारा क्रय एजेंसियों के बिलों का भुगतान समय से किया जा रहा है अथवा नहीं।	
15	निरीक्षण के समय यदि कोई अनियमितता प्रकाश में आयी हो तो विवरण।	

नोडल अधिकारी का  
नाम व पदनाम।